न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 70/15

1. कुम्भाराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निः चक 29 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

1. जुगलकिशोर पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
1 बाबुलाल पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
2 ताराचन्द पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
3 गजानन्द पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
4 विद्यादेवी पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
5 अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला जिला बीकानेर।
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की चक 29 केवाईडी के मु0नं0 38/24 के किला नं0 1, 2, 8 ता 10 मे तादादी 5.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी दर्ज कागजात है, जिसपर प्रार्थी लम्बे अरसे से लेकर आज तक काबिज काष्त है। मौके पर ढ़ाणी एवं मकान बनाकर मयपशुधन रहवास कर रहा है तथा हरे चारे एवं ग्वार की फसल काश्त कर रखी है और इसी मुरब्बे के किला नं0 3 ता 7 तादादी 5.00 बीघा भाई चन्दुराम के नाम दर्ज है। चक 29 केवाईडी के पास ही केवाईडी नहर से केवाईएम माईनर निकलता है जिसपर पुलिया बनी हुई है तथा चक 29 केवाईडी ए का खाला व मोघा मु0नं0 38/8 के किला नं0 6 मे लगा हुआ है और उक्त खाले पर प्रार्थी ने 20–22 वर्षो से अस्थाई पूली बनाकर प्रार्थी नहर के किनारे पष्चिम से पूर्व उक्त रास्ता से होकर मु0नं0 38/8 के किला नं0 6 मे 01 बिस्वा व मु0नं0 38/16 के किला नं0 6 ता 10 के प्रत्येक में 0.01–0.01 बिस्वा रास्ता से होकर अपने खेत के किला नं0 10 मे प्रवेष करता है तथा उक्त रास्ता लगभग 20–22 वर्षो से चल रहा है इसके अलावा अन्य आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थी व उसके भाई के पास नहीं है मौके पर उक्त रास्ता लगभग 01–01 बिस्वा भूमि पर कायम है तथा चालू है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी लम्बे अरसे से करता आ रहा है। उक्त रास्ता हेतु वांछित भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अतः उक्त वांछित रास्ता भूमि को रास्ता खेत स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेष फरमाने निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 1 व 5 हाजिर अदालत वकालतन या

असालतन नहीं आने पर दिनांक 17.03.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व 2 ता 4 बावजूद उपस्थित जवाब पेष नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 19.01.2021 सुनवाई कर निरस्त की गई एवं जवाब हेतु अवसर देने पर दिनांक 16.02.2021 को अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की ओर जवाब प्रार्थनापत्र पेष किया, जिसके अनुसार उपरोक्त प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है चूंकि धारा 251 ए आरटीएक्ट मे रास्ता उसी काश्तकार को स्वीकृत किया जाता है जिसको अपनी कृषि में जाने के लिए अन्यत्र दूसरा कोई मार्ग ना हो। जबकि प्रार्थी के पास अपने मुरब्बे में जाने के लिए मुरब्बा नं0 30, 31 में रास्ता कायम है जिसको वह कानूनी प्रक्रिया के तहत स्वीकृत करवाकर रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का स्वतंत्र है तथा प्रार्थी के पास एक अन्यत्र रास्ता चक 29 केवाईडी ए का मुरब्बा नं0 18/62, 63, 64 से होकर अपने मुरब्बा नं0 38/24 के किला नं0 10 में प्रवेष करता है, उपलब्ध है। जिससे वह वर्तमान में आवागमन कर रहा है। इसकी ताईद हल्का पटवारी रिपोर्ट में भी की गई है। इसलिए प्रार्थी मुरब्बा नं0 38/8 का किला नं0 6 में 1 बिस्वा व मु0नं0 38/16 का किला नं0 10 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता इससे हम अप्रार्थीगण के अधिकारों का हनन होगा और प्रार्थी द्वारा एक–एक बिस्वा भूमि चाही गई है जो विधि विरुद्ध है। उक्त भूमि किलों में कोई मार्ग नहीं है व कोई रास्ता चालू नहीं है इसलिए इन मुरब्बों के किलों में प्रार्थी को रास्ता नहीं दिया जा सकता इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2021/81 दिनांक 10.02.2021, पत्रांक/ तखा/रीडर/2022/746 दिनांक 07.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी को मौके पर कोई कटानषुद्धा मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा मु0नं0 38/8 के किला नं0 6, 7 तथा मु0नं0 38/16 के किला नं0 6 ता 10 में रास्ता कटान करवाना चाहता है। मौका स्थिति अनुसार वर्तमान उपयोग मे लिये जा रहे रास्ते से मु0नं0 38/8 के किला नं0 7 में बनी पुलिया से उक्त रास्ता निकटतम है।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मु0नं0 38/8 के किला नं0 6, 7 तथा मु0नं0 38/16 के किला नं0 6 ता 10 में नहर/माईनर के किनारे किनारे 1–1 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वह वर्तमान में मु0नं0 38/8 के किला नं0 6, 7 तथा मु0नं0 38/16 के किला नं0 6 ता 10 में से होकर गुजर रहा है। भू. अभि. निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है। इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मु0नं0 38/8 के किला नं0 6, 7 तथा मु0नं0 38/16 के किला नं0 6 ता 10 में से नहर के किनारे किनारे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थीगण फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)